UPKS010035882022

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1, कौशाम्बी।
उपस्थितः शिवानन्द सिंह,
एच0जे0एस0,
प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र सं0–795 / 2022,

आरती देवी पुत्री अमर सिंह, निवासिनीग्राम मुकीमपुर, थाना करारी, जनपद कौशाम्बी।

.....आवेदिका / अभियुक्ता।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी / अभियोजन।

मु0अ0सं0–92 / 2018,
धारा–147,148,149,302,201,120बी,404,34
भा0दं0सं0,
एस.टी.नं.213 / 2018,
थाना–करारी, जनपद कौशाम्बी।

15.10.2022

आवेदिका / अभियुक्ता आरती देवी द्वारा यह जमानत आवेदन पत्र थाना करारी, जनपद कौशाम्बी में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या–92 / 2018, धारा–147, 148,149,302,201,120बी,404,34 भा0दं0सं0, के अधीन विचारण के दौरान जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

जमानत आवेदन पत्र के समर्थन में जानकी देवी अभियुक्ता के पैरोकार मुकदमा द्वारा शपथ पत्र संलग्न किया गया है।

मैंने जमानत आवेदन पत्र पर आवेदिका / अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता दाण्डिक को सुन लिया है तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रलेखों का अवलोकन कर लिया है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी हरिकेशन पुत्र स्व0 सूरजपाल लोधी, निवासीग्राम मुकीमपुर, थाना करारी, जनपद कौशसाम्बी ने प्रभारी निरीक्षक, थाना करारी को इस आशय की लिखित तहरीर दिया कि दिनांक 04.05.2018 की रात्रि में मेरे घर पर बच्चे का जन्मदिन था, जिसके कारण कुछ मेहमान भी मेरे घर पर थे तथा दिनांक 06.05.2018 को पुत्री का तिलकोत्सव था मेरा लड़का लाल सिंह उम्र करीब 22 वर्ष पुत्री को तिलक में गाड़ी देने के लिए अपने पास जेब में 35000 / –रूपये नकद भी रखा था। रात्रि समय करीब 2.00 बजे आरती कुमारी पुत्री अमर सिंह, निवासी ग्राम उपरोक्त व सुनीता देवी पत्नी स्व0 मुन्नू

लाल, निवासीग्राम अहिरन का पुरवा, थाना मंझनपुर ने जरिये मोबाईल मेरे लड़के लाल सिंह को गांव कके बाहर बुलवाया। तभी मेरा लड़का लाल सिंह गांव के बाहर गया, जहॉ पर पहले से घात लगाकर बैठे अमर सिंह पुत्र राम पाल, ज्ञान सिंह पुत्र रामपाल व0 सत्येन्द्र कुमार पुत्र अमर सिंह, निवासीग्राम उपरोक्त ने धारदार हथियार से प्राणधातक हमला कर दिया और गर्दन कट गयी। लाश को ले जाकर खेत में पड़े भूसा में गाड़ दिया। कुछ देर वापस न आने पर खोजबीन की गयी, लेकिन पता नहीं चलने पर थाने सूचना दी गयी जो आज दिनांक 05.05.2018 को समय करीब 3.00बजे खोजबीन के दौरान लाश मिली, लेकिन मोबाईल व रूपये नहीं मिला। सूचना को आया हूॅ। शव घटनास्थल पर है। अतः महोदय से अनुरोध है कि रिपोर्ट लिखकर के कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

आवेदिका/अभियुक्ता की तरफ से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदिका/अभियुक्ता ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। अभियोजन कथानक मनगढन्त, बनावटी व कपोलकल्पित है, आवेदिका के विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं है। आवेदिका/अभियुक्ता की निशादेही पर कोई बरामदगी भी नहीं हुयी है। आवेदिका/ अभियुक्ता को धारा 319 दं0प्र0सं0 के अपराध के अंतर्गत विचारण हेतु तलब किया गया है। सह अभियुक्तगण की जमानत पूर्व में स्वीकृत हो चुकी है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने इन्हीं आधारों पर आवेदिका/अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया है।

अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र का घोर विरोध किया है और कथन किया है कि आवेदिका/ अभियुक्ता लाल सिंह मृतक की हत्या करने में सह अभियुक्तगण के साथ शामिल रही है। इन्हीं आधारों पर आवेदिका/अभियुक्ता आरती देवी के जमानत आवेदन को अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है।

पत्रावली पर उपलब्ध पुलिस प्रपत्रों के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि इस मामले में आवेदिका/अभियुक्ता के विरूद्ध विवेचक ने विवेचनोपरान्त आरोप न पाये जाने के कारण आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित नहीं किया है। आवेदिका अभियुक्ता को न्यायालय द्वारा अंतर्गत धारा 319 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत विचारण हेतु तलब किया गया है। आवेदिका/अभियुक्ता के पास से कोई बरामदगी नहीं हुयी है। सह अभियुक्तगण की जमानत पूर्व में स्वीकृत हो चुकी है। आवेदिका/अभियुक्ता की कोई विशिष्ट भूमिका जमानत पाये जाने वाले अभियुक्तों से भिन्न दर्शित नहीं किया गया है। आवेदिका महिला है तथा दिनांक 03.10.2022 से जेल में निरूद्ध है। इन तथ्य एवं परिस्थितियों में आवेदिका/अभियुक्ता आरती देवी का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदिका/अभियुक्ता आरती देवी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र

स्वीकार किया जाता है।

1– अभियुक्ता आरती देवी द्वारा अंकन एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बन्ध पत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल किए जायेंगे।

2– अभियुक्ता अन्तर्गत धारा–457 उपधारा–3 अध्याय 33 दं0प्र0सं0 में उल्लिखित बन्ध पत्र की शर्तों का कठोर अनुपालन करेंगे।

3– अभियुक्ता भविष्य में इस तरह का कोई अपराध नहीं करेंगे।

4– अभियुक्ता किसी भी साक्षी को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई धमकी, वचन या प्रवंचन नहीं करेंगे और न ही साक्ष्य को विनष्ट करने में किसी प्रकार से लिप्त होंगे।

5– अभियुक्ता फार्म–45 अन्तर्गत धारा–437 ए दं0 प्र0 सं0 में दिए गये बिन्दुओं के अनुसार बन्ध पत्र दाखिल करेंगे।

6– अभियुक्ता विचारण के पूर्ण होने के 6 माह के अन्दर यदि उच्चतर न्यायालय के समक्ष किसी अपील या याचिका में न्यायालय द्वारा नोटिस जारी होते ही न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

7– अभियुक्ता विवेचना व विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेंगे और वे विचारण के दौरान प्रत्येक तिथियों पर व्यक्तिगत या जरिये अधिवक्ता उपस्थित रहेंगे।

8– अभियुक्ता आरोप व धारा–313 दं0प्र0सं0 के चरण पर व्यक्तिगत उपस्थित रहेंगे।

9– अभियुक्ता इस आशय का बन्ध पत्र दाखिल करेंगे कि वे उपरोक्त शर्तो की अवहेलना किए जाने पर न्यायालय को यह अधिकार रहेगा कि वह अभियुक्त को दी गयी जमानत के सम्बन्ध में यथाविधि कार्यवाही संचालित करे।

दिनांक 15.10.2022

(शिवानन्द सिंह),
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–1,कौशाम्बी।
आई.डी. यू.पी.5861

शिवानन्द सिंह,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–1, कौशाम्बी।